81

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2337–एक/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30 मार्च, 2013 – पारित द्वारा – तहसीलदार, तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर – प्रकरण क्रमांक 3/2012–13 अ–27

श्योजी दत्तक पुत्र प्रहलाद धाकड़
ग्राम अजापुरा तहसील व जिला श्योपुर ----आवेदक

विरूद्ध

1– कैलाश पुत्र हजारी
2– श्रीमती शांति पुत्री हजारी पत्नि काडूलाल
3– श्रीमती कमलावाई पुत्री हजारी पत्नि जगन्नाथ
4– श्रीमती कांतिवाई पुत्री हजारी पत्नि सीताराम
5– श्रीमती नटीवाई पुत्री हजारी पत्नि शंकरलाल
6– श्रीमती कल्याण पत्नि स्व. गंगाराम
7– इन्द्रगाज पुत्र गंगाराम
8– श्रीमती बादामवाई पुत्री गंगाराम पत्नि रामनारायण
9– हंसराज पुत्र गंगाराम
10–शंकरलाल पुत्र गंगाराम
11–श्रीमती ललतावाई पुत्री गंगाराम पत्नि भेरूलाल
12–श्रीमती किंतावाई पुत्री गंगाराम
13–बाबूलाल पुत्र किशनलाल
14–बद्रीलाल पुत्र किशनलाल
15–बृजलाल पुत्र किशनलाल
16–श्रीमती गुलाबवाई पत्नि स्व.किशनलाल
17–श्रीमती धन्नीवाई पुत्री किशनलाल
18–श्रीमती कैलाशी पुत्री किशनलाल पत्नि गंगाराम
सभी निवासी ग्राम अजापुरा व जिला श्योपुर ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श
(आज दिनांक 18-03-2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 3/2012-13 अ-27 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30 मार्च, 2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार बड़ौदा जिला श्योपुर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम फिलोजपुरा की भूमि सर्वे कमांक 146, 189 कुल किता 2 कुल रकबा 23 वीघा 17 विसवा का बटवारे की मांग की। तहसीलदार बड़ौदा ने प्रकरण कमांक 5/12-13 अ 27 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई हेतु तिथि नियत की। सुनवाई के दौरान मांगीवाई पुत्री प्रहलाद पत्नि गुलाबचंद, गीतावाई पुत्री प्रहलाद पत्नि रतनलाल एंव संतोष पुत्री प्रहलाद पत्नि मूड़ीलाल ने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने एंव वादोक्त भूमि में उनके पिता का हिस्सा 1/4 होने तथा इस हिस्से की भूमि पर गलत नामान्तरण होने से नामान्तरण सुधार के लिये अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण चलने की आपत्ति की गई। तहसीलदार बड़ौदा ने आपत्ति आवेदन पर हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 30-3-103 पारित किया तथा आपत्तिकर्ताओं को हितबद्व पक्षकार मानकर पक्षकार बनाये जाने एंव नामान्तरण सुधार के लिये अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने तक के लिये बटवारा कार्यवाही स्थगित रखने का निर्णय लिया। तहसीलदार बड़ौदा के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार बड़ौदा ने मांगीवाई पुत्री प्रहलाद पत्नि गुलाबचंद, गीतावाई पुत्री प्रहलाद पत्नि रतनलाल एंव संतोष पुत्री प्रहलाद पत्नि मूड़ीलाल व्दारा व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये हक का विनिश्चय होने तक बटवारा प्रकरण यथास्थिति में रखने का निर्णय लिया है। जब मांगीवाई पुत्री प्रहलाद पत्नि गुलाबचंद, गीतावाई पुत्री प्रहलाद पत्नि रतनलाल एंव संतोष पुत्री प्रहलाद पत्नि मूड़ीलाल के आवेदन को स्वीकार कर तहसीलदार, तहसील बड़ौदा ने अंतरिम आदेश दिनांक 30 मार्च, 2013 पारित करके इन आवेदकों को हितबद्व पक्षकार मान लिया है एंव बटवारा प्रकरण यथास्थिति में रखने का निर्णय लिया है, मांगीवाई पुत्री प्रहलाद पत्नि गुलाबचंद, गीतावाई पुत्री प्रहलाद पत्नि रतनलाल एंव संतोष पुत्री प्रहलाद पत्नि मूड़ीलाल हितबद्व होने के वाद भी आवेदक ने उन्हें विचाराधीन निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया है, जिसके कारण निगरानी में पक्षकारों के असंजयोजन का दोष होने से निगरानी विचार योग्य नहीं है।

5/ यदि मामले में गुणदोष विचार किया जाय - अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30-3-13 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार बड़ौदा ने हक के विनिश्चय होने तक बटवारा प्रकरण को यथास्थिति में बनाये रखने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 में प्रावधान है कि यदि हक संबंधी कोई प्रश्न उठाया जाता है तो तहसीलदार अपने समक्ष की कार्यवाहियों को तीन मास की कालावधि तक के लिये रोक देगा जिससे कि हक संबंधी प्रश्न के अवधारण के लिये वाद सस्थित किया जाना सुकर हो जाय। विचाराधीन प्रकरण में व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये जाने एंव वादोक्त भूमि में उनके पिता का हिस्सा 1/4 होने तथा इस हिस्से की भूमि पर गलत नामान्तरण होने से नामान्तरण सुधार के लिये अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण चलने की आपत्ति है, जिसके कारण तहसीलदार बड़ौदा व्दारा आदेश दिनांक 30-3-13 में लिये गये निर्णय में विसंगति नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार, तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 3/2012-13 अ-27 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30 मार्च, 2013 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर